भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

डाकघर: केट

इंदौर : 452 013

संदर्भ सं. 1/13/2021-जीएसी/2609

अप्रेल 20, 2021

<u>परिपत्र</u>

विषय :- <u>कारोना वायरस को फैलने से रोकने के बचाव उपाय के संबंध में</u> ।

यह देखने में आया है कि, आर आर केट कॉलोनी के कुछ रहवासी अपने घर से बाहर निकलते समय मास्क एंव सोशल डिस्टेंसिग का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि इस बारे में समय–समय पर राज्य सरकार एंव स्थानीय प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किये हैं । कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी, इन्दौर के दिनांक 25 मार्च 2021 के आदेशानुसार सही तरीके से मास्क नही पहनने पर रू.200/- एंव मास्क नहीं पहनने पर रू.400/- का जुर्माना तय किया गया है । चूँकि, आर आर केट परिसर में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए आर आर केट के प्रशासन ने इन्दौर नगर निगम के अधिकारियों को आर आर केट कॉलोनी का दौरा करने के लिए कहा है । तद्नुसार, नगर निगम की टीम कभी भी आर आर केट कॉलोनी का दौरा कर सकती है ।

अतः, आर आर केट कॉलोनी के सभी रहवासियों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि, जब तक आवश्यक कार्य ना हो, वे अपने घरो से बाहर नहीं निकलें यदि आवश्यक कार्य से जाना भी पड़े तो मास्क सही तरीके से पहनकर ही घर से बाहर निकलें एंव सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रुप से करें । ऐसा नहीं करने पर नगर निगम की टीम के द्वारा उपरोक्तानुसार जुर्माना लगाया जा सकता है ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

20/4/2021

(एस. डी. मीना)

प्रशासनिक अधिकारी- III एंव

संपदा अधिकारी

मेल ऑल